भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5478
दिनांक 03 अप्रैल, 2025

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों का आवंटन

5478. श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन श्रेणियों/व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें विशेषकर उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के आबंटन में विशेष रियायतें/छूट प्रदान की गई है;
(ख) इन आवेदकों के संबंध में विशेषकर उत्तर प्रदेश में विशेष छूट/रियायत के अंतर्गत आवंटन की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या आजमगढ़ जिले सहित उत्तर प्रदेश में उक्त श्रेणियों के अंतर्गत पेट्रोल पंप/गैस एजेंसियां आवंटित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्तियों को विशेष रियायतों/छूटों के अंतर्गत पेट्रोल पंप/गैस एजेंसियां आबंटित की गई हैं और उनके प्रचालनों की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने दिनांक 28.06.2023 से खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए नए ''डीलरशिप चयन दिशानिर्देश'' और दिनांक 23.06.2016 से ''एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन संबंधी एकीकृत दिशानिर्देश'' लागू किए हैं। इन दोनों दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5 प्रतिशत आरक्षण और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणियों में रक्षा कार्मिकों, अर्धसैनिक कार्मिकों/केन्द्रीय/राज्य सरकार और केन्द्र/राज्य पीएसयू कर्मचारियों, शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों, स्वतंत्रता सेनानियों और प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पीएसीएस) के लिए भी आरक्षण है।

आरओ और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आबंटन पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करके किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय/राज्य समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर पात्र प्रतिभागियों से आवेदन आमंत्रित करना, ऑनलाइन आवेदन जमा करना, आवंटिति का चयन करने के लिए लॉटरी निकालना आदि शामिल हैं।

खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप के आवंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया/मानदंड/मापदंड/आरक्षण नीति www.petrolpumpdealerchayan.in पर उपलब्ध है और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश www.lpgvitarakchayan.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ): दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ मे पीएसयू ओएमसीज के खुदरा बिक्री केन्द्रों के श्रेणी-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

	एससी/एसटी	ओबीसी	अन्य	कुल
उत्तर प्रदेश	1780	1210	8423	11413
जिला आजमगढ़	46	35	155	236

इसके अलावा, पीएसयू ओएमसीज द्वारा आरओज की स्थापना के लिए जारी किए गए विज्ञापन के उत्तर में, दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में 3536 आशय पत्र (एलओआईज) जारी किए गए हैं और 558 आरओज चालू किए गए हैं। इसके अलावा, आजमगढ़ जिले में 89 एलओआईज जारी किए गए हैं और 17 आरओ चालू किए गए हैं।

दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का श्रेणी-वार विवरण नीचे दिया गया है:-

	एससी/एसटी	ओबीसी	अन्य	कुल
उत्तर प्रदेश	882	415	2551	3848
जिला आजमगढ़	19	9	54	82

दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार, तेल विपणन कंपनियों ने एकीकृत चयन दिशा-निर्देश, 2016 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में 1051 स्थलों का विज्ञापन दिया है, जिनमें से 1034 स्थलों पर काम शुरू हो चुका है, और शेष 17 स्थल चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। तेल विपणन कंपनियों ने एकीकृत चयन दिशा-निर्देशों के तहत जिला आजमगढ़ में 46 स्थलों का विज्ञापन दिया है, जिनमें से 44 स्थलों पर काम शुरू हो चुका है और वे प्रचालन कर रहे हैं तथा शेष 2 स्थल चयन के विभिन्न चरणों में हैं। उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ जिले में आवंटन का श्रेणी-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ जिला में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूरशिपों का श्रेणी-वार संख्या				
	एससी/एसटी	ओबीसी	अन्य	कुल
उत्तर प्रदेश	232	269	533	1034
जिला आजमगढ़	12	10	22	44

****